लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

खंड-3, प्रथम तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

फोन न.-0771-2331385, Email Id- cg.dpi.dir@gmail.com

क्र /विधि/पदो.काउंसिलिंग/दुर्ग संभाग/2023/108 नवा रायपुर, दिनांक 25-04-2023

प्रति,

महाधिवक्ता
माननीय उच्च न्यायालय परिसर
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विषय:- शिक्षक संवर्ग (विषय हिंदी व अन्य विषय) के पदांकन हेतु काउँसिलिंग का स्थगन हटाने हेतु मार्गदर्शन ।

संदर्भ:- मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक (WPS No 2116/2022)

-0-

विषयांतर्गत लेख है कि –

1. छत्तीसगढ़ शासन. स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-12-96/ 2022 / 20-दो, दिनांक 29-03-2023 द्वारा सहायक सहायक शिक्षक (एल.बी.) से उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नति (Promotion) पश्चात शालाओं में पदस्थापना (Posting) काउंसिलिंग (Counselling) द्वारा करने की नियमावली जारी की गयी।
2. छत्तीसगढ़ शासन के उक्त निर्देशानुसार - संभागीय संयुक्त संचालक, दुर्ग के पत्रांक 1751/ स्था.-03 / उ.व.शि./ 2023, दिनांक 17-04-2023 द्वारा काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित कर सर्व संबंधितों को सूचित किया गया।
3. छत्तीसगढ़ शासन के उक्त निर्देश व काउंसिलिंग के नियमावली का परिपालन करते हुए, संयुक्त संचालक, दुर्ग द्वारा उच्च वर्ग शिक्षक (विषय – हिंदी स्नातक एवं प्रशिक्षित) के पद पर पदोन्नत होने वाले पात्र सहायक शिक्षक (एल.बी.) की कांउसिलिंग करते हुए दिनांक 06-04-2023 को उनका पदांकन आदेश जारी किया गया।
4. याचिकाकर्ता श्री गिरवर साहू की याचिका WPS 1483 / 2023 पर माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा दिनांक 22-02-2023 को निर्णय पारित किया कि – **"अगली तिथि तक संस्कृत शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रभावी नहीं होगी - राज्य द्वारा अपना रिटर्न दाखिल करने के बाद अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना पर फिर से विचार किया जाएगा (Till the next date, no promotion shall be effected to the post of teacher in Sanskrit - The prayer for interim order will be re-considered after the state files its return)"**

   इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण को श्री दक्ष कुमार साहू की याचिका WPS 2116/2022 के साथ सूचीबद्ध किया गया।
5. श्री दक्ष कुमार साहू की याचिका WPS 2116/2022 (अन्य याचिका WPS 2363/2022, WPS 1221/2022 तथा WPS 1483/2022 के साथ सुनवाई करते हुए) पर मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा आदेश किया गया कि - **"दिया गया अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा (Interim order granted earlier shall continue, till the next date of hearing)."**
6. उक्त सभी याचिकाओं के अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा अपने पक्षकारों की ओर से (रिट याचिका WPS 1483 / 2023, दिनांक 22-02-2023 के परिप्रेक्ष्य में) दिनांक 17-04-2023 को संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग-दुर्ग को अवमानना नोटिस दिया गया कि – **"आपके द्वारा हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को संयुक्त रूप से जोड़कर पूर्व में 286 (ई संवर्ग के लिए 231 एवं टी संवर्ग के लिए 55) दर्शाया गया है एवं बाद में संशोधित कर संयुक्त रूप से 371 पद दर्शाया गया है। इस पद संरचना को मान. न्यायालय में चुनौती दी गई है कि दोनों**

5. बिषयों के पद पृथक हैं – उन्हें एक साथ दर्शाया नहीं जा सकता – अतः पहले पृथक-पृथक पद का सेटअप जारी करना आवश्यक है । इसके बाद ही प्रमोशन की कार्यवाही की जा सकती है । स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए आपके द्वारा हिंदी शिक्षकों के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया जो, अवमानना है । अतः जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 06-04-2023 को निरस्त करें तथा 20 अप्रैल, 2023 को होनेवाली काउंसिलिंग पर रोक लगायें ।"

6. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग-दुर्ग द्वारा अपने आदेश दिनांक 17-04-2023 द्वारा काउंसिलिंग के संबध में जारी निर्देश निरस्त कर दिया गया तथा अपने आदेश दिनांक 21-04-2023 द्वारा मान. उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक WPS 1483/2023 में पारित निर्णय के अनुक्रम में अपने पूर्व आदेश दिनांक 06-04-2023 के द्वारा सहायक शिक्षक (ई संवर्ग – बिषय हिंदी) के पद पर पदस्थापना हेतु नियमानुसार प्रस्तावित काउंसिलिंग (दिनांक 29-04-2023) को भी स्थगित कर दिया गया ।

कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति अनुसार प्रकरण में विधिक अभिमत प्रदान करना चाहेंगे कि :-

1. मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय के संदर्भ (कि अगली तिथि तक संस्कृत शिक्षक के पद पर पदोन्नति प्रभावी नहीं होगी) में संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग-दुर्ग द्वारा सहायक शिक्षक (एल.बी.) से उच्च वर्ग शिक्षक (हिंदी सहित अन्य सभी विषयों के लिए) की पदोन्नति की जा सकती है या नहीं ? पदोन्नति पश्चात पदांकन हेतु काउंसिलिंग की जा सकती है या नहीं ?

25.04

(सुनील कुमार जैन)
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय

पृ.क्र /विधि/पदो.काउंसिलिंग/दुर्ग संभाग/2023/ 109

नवा रायपुर, दिनांक 25-04-2023

प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
2. संभागीय संयुक्त संचालक, संभाग-दुर्ग, छ.ग.

25.04

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय